पथ निर्माण विभाग

दिनांक 01.11.2017 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, बारसोई के अन्तर्गत Construction of Proposed H.L. R.C.C. Bridge (3x18.00M) in place of existing old S.P. Bridge (5x10m) Span at 19th km of Katihar-Chitabadi-Sonaili-Jhaua-Salmari-Balrampur Road (SH-98) for the year 2016-17 के निविदा के वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अपर सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iv) श्री अमीर हसन, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं इस पर विभागीय ज्ञापांक–1594(ई0) दिनांक 23.03.2017 द्वारा संसूचित विभागीय निविदा समिति का निर्णय तदनुसार मुख्य अभियंता कार्यालय के पत्रांक–1219(अनु0) दिनांक 07.04.2017 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय बीड की अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	Construction of Proposed H.L. R.C.C. Bridge (3x18.00M) in place of existing old S.P. Bridge (5x10m) Span at 19th km of Katihar-Chitabadi-Sonaili-Jhaua-Salmari-Balrampur Road (SH-98) for the year 2016-17
2.2	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, बारसोई।
2.3	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	₹575.90 लाख। विभागीय पत्रांक–10350(एस0) दिनांक 22.12.2016
2.4	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹542.29 लाख। मु0अभि0, के0नि0सं0, प0नि0वि, पटना का पत्रांक–58(अनु0) दिनांक 27.01.2017
2.5	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹5,75,24,819.00
2.6	कार्य समाप्ति की अवधि	:	15 months.
2.7	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेडरिंग (SBD)
2.8	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	15.02.2017
2.9	प्राप्त निविदा की संख्या	:	07 (सात) अदद यथाः–

(i) M/s Laxman Kumar,
Plot No.244, Ratudih, Siwandih,
Bokaro.

(ii) M/s Motilal Agarwal,
Motihari

(iii) M/s Rungta Enterprises,
Kahalgaon, Bhagalpur.

(iv) M/s Shiv Shakti Construction,
Shastri Nagar, Purnea.

(v) Mukesh Kumar,
Mirchaibari, Katihar.

(vi) Shanti Construction,
T-1/301, 4th Floor, Gorakhnath Complex,
East Boring Canal Road, Patna.

(vii) Umakant Singh,
Officer's Colony, Mirchaibari,
Katihar.

2.10 विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड निष्पादन का प्रसंग : प्र0–7/निविदा–38/2017–1594(ई0) दिनांक 23.03.2017

2.11 तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों की संख्या : 04 (चार) अदद यथा:–

(i) M/s Laxman Kumar,
Plot No.244, Ratudih, Siwandih,
Bokaro.

(ii) M/s Rungta Enterprises,
Kahalgaon, Bhagalpur.

(iii) M/s Shiv Shakti Construction,
Shastri Nagar, Purnea.

(iv) Shanti Construction,
T-1/301, 4th Floor, Gorakhnath Complex,
East Boring Canal Road, Patna.

3. **मुख्य अभियंता का अनुशंसा:**

दिनांक 23.03.2017 को विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का उद्धृत दर एवं न्यूनतम दर वाले निविदाकार का निविदित राशि निम्नवत् है :–

क्र0सं0	निविदाकार का नाम	उद्धृत दर	उद्धृत दर पर …
1	M/s Laxman Kumar	परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर	₹5,17,72,337.00
2	M/s Rungta Enterprises	परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर	₹5,17,72,337.00
3	M/s Shiv Shakti Construction	परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर	₹5,17,72,337.00
4	Shanti Construction	परिमाण विपत्र के दर से 10% कम दर पर	₹5,17,72,337.00

इस प्रकार चार निविदाकार का उद्धृत दर एक समान एवं न्यूनतम है, जो परिमाण विपत्र के दर से 10% कम है। निविदाकारों द्वारा न्यूनतम उद्धृत दर पर कार्य की निविदित राशि ₹5,17,72,337.00 (… करोड़ सतरह लाख बहतर हजार तीन सौ सैंतीस) मात्र होती है। समान न्यूनतम दर उद्धृत करने वाले निविदाकारों के बीच लॉटरी कर, लॉटरी में सफल निविदाकार के पक्ष में निविदा निष्पादन की अनुशंसा की … है।

4. वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु दिनांक 24.05.2017 को सम्पन्न बैठक में विभागीय निविदा समिति द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

4.1 तकनीकी बीड में सफल सभी चार निविदाकारों द्वारा निविदित दर समान एवं न्यूनतम है। अतः बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम–163(1) के आलोक में संबंधित निविदाकारों की उपस्थिति में …

प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 05.05.2017 को सम्पन्न Draw of lots में M/s Rungta Enterprises, Kahalgaon, Bhagalpur सफल हुए।

4.2 निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि संवेदक M/s Rungta Enterprises, Kahalgaon, Bhagalpur प्रो० श्री महेश कुमार रूंगटा को जल संसाधन विभाग, बिहार के ज्ञापांक–1736 दिनांक 03.05.2017 द्वारा उनके निबंधन संख्या–113/2010 (प्रथम श्रेणी) को अगले दस वर्षों की अवधि हेतु निबंधन किये जाने पर रोक लगा दिया गया है अर्थात् अगले दस वर्ष के लिये इन्हें निलंबित कर दिया गया है। पथ निर्माण विभाग, बिहार के पत्रांक–533(एस) दिनांक 23.01.2013 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका–2 में यह प्रावधान है कि "निविदा प्राप्ति के उपरान्त एवं निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यदि संवेदक का ऐसा कृत्य संज्ञान में आता है जिसके कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंड़िका–11(क) के तहत् उनपर आपराधिक मामला बन जाता है अथवा उनका निबंधन कालीकृत/निलंबित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।"

4.3 तद्नुसार विभागीय निविदा समिति द्वारा इस नामले में निबंधन का निलंबन मानते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्रभावित निविदाकार को अपना पक्ष रखने के लिये एक सप्ताह का अवसर दिया जाय कि क्यों नहीं उन्हें निविदा प्रक्रिया से बाहर करते हुये तकनीकी बीड में सफल अन्य निविदाकारों के बीच लॉटरी कर निविदा निष्पादन करने का निर्णय लिया जाय। मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग संबंधित निविदाकार से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने अभिमत के साथ विभागीय निविदा समिति के विचारार्थ उपस्थापित करेंगे।

5. उक्त के अनुपालन में मुख्य अभियंता(या०) उत्तर बिहार उपभाग के पत्रांक–1742(अनु०) दिनांक 19.06.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 24.05.2017 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति के निर्णयानुसार निविदाकार M/s Rungta Enterprises, Khalgaon, Bhagalpur प्रो० श्री महेश कुमार रूंगटा को जल संसाधन विभाग, बिहार के ज्ञापांक–1736 दिनांक 03.05.2017 द्वारा निबंधन संख्या–113/2010 (प्रथम श्रेणी) को अगले दस वर्ष के लिए निबंधन को निलंतबित किये जाने के कारण इनके निबंधन को निलंबित मानते हुए इनके निविदा पर विचार नहीं करते हुए इनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया।

उक्त के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक–1587 दिनांक 29.05.2017 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गई। निविदाकार M/s Rungta Enterprises द्वारा अपने जबाव के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए पुनःनिविदा प्रक्रिया में शामिल करने हेतु अनुरोध किया गया है। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय में अंकित है कि संवेदक को जल संसाधन विभाग के पत्र संख्या–1736 दिनांक 03.05.2017 में निर्गत आदेश के आलोक में निविदा से वंचित नहीं किया जा सकता है।

M/s Rungta Enterprises द्वारा समर्पित स्पष्टोकरण का जबाव के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विभागीय निविदा समिति के समक्ष विचारार्थ उपस्थापित करने की कृपा की जाय।

6. CWJC No.8189/2017 (M/s Rungta Enterprises Vs. The State of Bihar & Ors.) में दिनांक 05.06.2017 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश का कार्यशील अंश निम्नवत् है :-

"In the meantime, if the petitioner participates in any tender process, if he is otherwise eligible, his tender will not be rejected on the ground of the order as contained in Annexure . It is also made clear that the final decision on the tender of the petitioner would abide by the final decision of this Court in the instant writ application."

6. वित्तीय बीड पर निर्णय हेतु दिनांक 12.05.2017 को सम्पन्न बैठक में विभागीय निविदा समिति द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

6.1 मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग के पत्रांक-1742(अनु0) दिनांक 19.06.2017 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं CWJC No.8189/2017 (M/s Rungta Enterprises Vs. The State of Bihar & Ors.)में दिनांक 05.06.2017 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में विभागीय निविदा समिति का निर्णय निम्नवत् है :-

चूँकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश से पथ निर्माण विभाग का विषयांकित कार्य का निष्पादन प्रभावित हो रहा है एवं उक्त वाद में पथ निर्माण विभाग प्रतिवादी नहीं है, ऐसी स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त पथ निर्माण विभाग का पक्ष रखने के लिए विभाग को प्रतिवादी बनाये जाने हेतु AAG-4 श्री अंजनी कुमार से सम्पर्क कर अग्रत्तर कार्रवाई करने का निदेश मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग को दिया जाय।

7. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग के पत्रांक-2934(अनु0) दिनांक 18.10.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि " AAG-4 श्री अंजनी कुमार से सम्पर्क किया गया एवं इस कार्यालय का पत्रांक-2000(अनु0) दिनांक 18.07.2017 उपलब्ध कराया गया। इस पत्र के द्वारा अनुरोध किया गया कि पथ निर्माण विभाग को प्रतिवादी बनाने की कार्रवाई की जाय ताकि विभाग का पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा जा सके।

AAG-4 श्री अंजनी कुमार द्वारा बताया गया कि दिनांक 05.06.2017 के बाद मामले की सुनवाई अब तक नहीं हुई है। उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि दिनांक 05.06.2017 को CWJC No.8189/2017 M/s Rungta Enterprises Vs. The State of Bihar & Ors. में पारित आदेश के आलोक में M/s Rungta Enterprises को निविदा में असफल घोषित नहीं किया जा सकता है तथा निविदा में लिया गया निर्णय CWJC No.8189/2017 में पारित अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।"

8. <u>विभागीय निविदा समिति का निर्णयः</u>

8.1 विभागीय ज्ञापांक–4036(ई0) दिनांक 12.07.2017 के आलोक में मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग के पत्रांक–2934(अनु0) दिनांक 18.10.2017 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय निविदा समिति का निर्णय निम्नवत् है :–

8.2 मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग से प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेखित **AAG-4** श्री अंजनी कुमार द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में पथ प्रमंडल, बारसोई के अन्तर्गत **Construction of Proposed H.L. R.C.C. Bridge (3x18.00M) in place of existing old S.P. Bridge (5x10m) Span at 19th km of Katihar-Chitabadi-Sonaili-Jhaua-Salmari-Balrampur Road (SH-98) for the year 2016-17** के कार्य के निविदा के **Draw of lots** में सफल **M/s Rungta Enterprises, Kahalgaon, Bhagalpur** को उनके उद्धृत दर जो परिमाण विपत्र की राशि से 10(दस) प्रतिशत कम है यानि ₹5,17,72,337.00 (पाँच करोड़ सतरह लाख बहतर हजार तीन सौ सैंतीस) मात्र पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह निर्णय **CWJC No.8189/2017 M/s Rungta Enterprises Vs. The State of Bihar & Ors.** में पारित अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

8.3 यदि उक्त संवेदक पथ निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है, तो बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अधीन उनके निबंधित होने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाए।

8.4 एकरारनामा करने के पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाय।

8.5 निविदाकार से **SBD** के **ITB Clause 27.4** एवं इस आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक–3376 (एस०) दिनांक–17.08.2010 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त **Performance Security** प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किया जाय।

8.6 राशि की अंकगणितीय जाँच मुख्य अभियंता द्वारा अपने स्तर से कर लिया जायेगा।

8.7 एकरारनामा होने के उपरान्त इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।

8.8 विभागीय निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इसे विभागीय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाय।

1/11/17 (अमीर हसन) मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।	1.11.17 (राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता) अपर सचिव–सह– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	1/11/17 (लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	1.11.17 (अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः प्र0–7/निविदा–38/2017 6102(E) पटना, दिनांक 01/11/17

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/11/17
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।